



टीक  
जिला कलेक्टर

अपीलान्त के अधिमाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अधिमाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की विवादित भूमि खसरा नम्बर 239/399 से से रकबा 0.01 है 0.01 है।

विद्वान अधिमाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने किसी भी राजकीय भूमि पर अधिकरण करना का निर्माण नहीं किया है। अपीलान्त का उक्त आरोप ही कोई संबंध अथवा संशय नहीं है। अपीलान्त द्वारा मौके पर कोई प्रस्तावित अधिमाषक नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रार किया गया एवं तलबी रैस्पॉन्डेंट जस्टिस को जाकर अधीनस्थ न्यायालय की प्रभावली तलब की गई। प्रकरण में अधिमाषक अपीलान्त एवं राजकीय अधिमाषक की बहस सुनी गई।

अपील का सीधिल में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नाथल तहसीलदार सीप ने अपने निर्णय दिनांक 09.01.2026 के द्वारा अपीलान्त को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 239/399 से से रकबा 0.01 है 0.01 है। अधिमाषक करने के कारण प्रस्तावित अधिमाषक मानते हुए भूमि में बेदखल करने, 100/रु. प्लान्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त ने नाथल तहसीलदार सीप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलफ कर्नन बताने हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

दिनांक 06.05.2026

निर्णय

व्यवस्थापित : (1) श्री रोमेश गुर्जर, अधिमाषक अपीलान्त  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अधिमाषक रैस्पॉन्डेंट

नाथल तहसीलदार सीप दिनांक 09.01.2026 भिसल नम्बर 384/2026  
अपील अन्तर्गत द्वारा 75 राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
-रैस्पॉन्डेंट

नाथल तहसीलदार सीप जिला टीक राज.

बनाम

-अपीलान्त

हरकेश पुत्र किशनलाल सीना निवासी रोशनपुरा तहसील अलीगढ़ जिला टीक राज.

21/2026  
24.02.2026

प्रकरण संख्या  
प्रतिदि दिनांक

(टीना जाली, आई.ओ.ए. द्वारा अध्यापित)

न्यायालय जिला कलेक्टर, टीक



**का 2**  
**अधीनस्थ न्यायालय**  
(टीना डी) (टीना डी)

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खले न्यायालय में सुनाया गया।  
खारिज किया जाता है।

तहसीलदार सीप का निर्णय दिनांक 09.01.2026 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्वगन  
फलतः अधील अधीनस्थ अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नाथब

निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होता है।  
बार-बार अतिक्रमण करने का आदेश है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित  
है। अधीनस्थ सीप पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय सीप पर  
31.10.2025 से सीप से बेवखल किया गया है। अतिक्रमण बार-बार अतिक्रमण करने का आदेश  
अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 651/2025 निर्णय दिनांक  
पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अधीनस्थ ने पूर्व से भी उक्त सीप पर  
तहसील अलीगढ़ पर पटवारीवली अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है, जो  
द्वारा सीप खसरा नम्बर 239/399 से संरक्षण 0.01 है 0 किस्म नदी वार्क ग्राम कोटडी  
स्वयं की गामील हुई है। अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ की  
न्यायालय द्वारा नॉटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नॉटिस पर अधीनस्थ की  
न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ की अधीनस्थ  
अधीनस्थ न्यायालय की अधीनस्थ पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ  
विद्वान अधीनस्थ अधीनस्थ एवं राजकीय अधीनस्थ की बहस पर मनन किया एवं

खारिज की जावे।

करने का आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अधील अधीनस्थ  
सीप पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय सीप पर बार-बार अतिक्रमण  
उक्त सीप पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अधीनस्थ  
विश्वत गामील हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ ने पूर्व से भी  
अधीनस्थ की विश्वत नॉटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अधीनस्थ की  
करने, पनट्टी कथम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा  
कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर नाथब तहसीलदार सीप द्वारा सीप से बेवखल